

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

निविदा सूचना

कमांक **89/ज0प्र0/न.नि./2022**

भिलाई, दिनांक **25/04/2022**

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग मे ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नांकित कार्य हेतु PHE एस.ओ.आर. 01.06.2020 के अनुसार दर पर निम्नांकित कार्य हेतु दिनांक 11.05.2022 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 12.05.2022 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 09.05.2022 को सायं 5.30 बजे तक, 77 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र के कार्यालय में निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

नोट :- निविदा दर अंको एवं शब्दों में अंकित करें तथा लिफाफा में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर लिखा जावे।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी	फार्म 'ए'	निविदा
1.	ओम शांती चौक के पास 350 एमएमडायामा राइजिंग मेन डी.आइ. लाइन को बदलने का कार्य	5.48 लाख	4500.00	750.00	30 दिन	द एवं द से प्रवर	फार्म 'ए'	द्वितीय निविदा

नियम एवं शर्तें:- 1. निगम में निविदाओं से वंचित ठेकेदारों/एजेंसी की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. दरें समस्त कर जोड़कर दिया जाना होगा। पृथक से किसी भी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जावेगा। 3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 4. निविदा स्वीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेगें। 5. निविदा धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एक डी आर ऑफ लाईन लिफाफा में जमा करना होगा। उक्त कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर पंजीकृत, पेन कार्ड की सत्यापित प्रति भी लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र न सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 6. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 7. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 8. शासन के आदेश कमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 10% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि का 90% राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. जो कि, आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम पर देय होगा, मांग तिथि से 15 दिनों के समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा बैंक गारंटी आदि मान्य नहीं की जावेगी। 09. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर निविदा निरस्त कर, धरोहर राशि राजसात की जावेगी तथा काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 10. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। 11. उक्त कार्य के लिए प्रपत्र में अंकित अनुसार धरोहर राशि जमा करें एवं समायोजन की कार्यवाही नही होगी। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी नगर निगम भिलाई की वेबसाईट www.bhilainagar.nigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं वीप्स की वेबसाईट eproc.cgstate.gov.in से भी डाउनलोड की सकती है।

कार्यपालन अभियंता

जलकार्य

नगर पालिक निगम, भिलाई